संख्या- 13मु.स./सैंतीस-2-2013-1(45)/12टी.सी.

प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ. प्र., लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊः: दिनांक- 15 मई, 2013

विषयः- प्रदेश में कामर्शियल लेयर्स फार्म की अवस्थापना एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की अवस्थापना को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-2013

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में कामर्शियल लेयर्स फार्म की अवस्थापना एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की अवस्थापना को बढ़ावा देने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ''उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-2013'' अनुमोदित की गई है। उक्त अनुमोदित कुक्कुट विकास नीति-2013 की प्रति आपको अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृपया इस नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या- 13मु.स.(1)/सैंतीस-2-2013, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि अनुमोदित नीति की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन।
5- प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
6- प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश शासन।
7- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11- प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
13- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ. प्र. पशुधन विकास परिषद्, लखनऊ।
14- निदेशक, सूचना निदेशालय, उ. प्र., लखनऊ ।
15- पशुधन अनुभाग-1, उ. प्र. शासन ।
16- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति–2013

1. प्रस्तावना

पशुपालन तथा डेयरी को लघु उद्योग के रूप में विकसित करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। पशुपालन के क्षेत्र में कुक्कुट विकास को प्राथमिकता देना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि वर्तमान समय में प्रदेश में 108 करोड़ अण्डों का उत्पादन प्रतिवर्ष है, जबकि 473 करोड़ अण्डों का उपभोग प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसकी पूर्ति के लिए निजी क्षेत्र के व्यवसायियों द्वारा लगभग 1 करोड़ अण्डा प्रति दिन अन्य प्रदेशों से आयात किया जाता है। इसी प्रकार ब्रायलर मांस की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रदेश में लगभग 10 करोड़ एक दिवसीय ब्रायलर चूजे अन्य प्रदेशों से प्रतिवर्ष आयात किये जाते हैं।

इण्डियन न्यूट्रीशनल एकेडमी , हैदराबाद की संस्तुति के अनुसार 182 अण्डे प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोग का मानक स्तर होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 53 अण्डों का उपभोग होता है, जबकि प्रदेश में औसत उपभोग 22 अण्डे प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। इसी प्रकार कुक्कुट मांस हेतु संस्तुति 11 किग्रा प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है, जबकि राष्ट्रीय उपभोग औसत 2.20 किग्रा है। प्रदेश में कुक्कुट मांस उपभोग स्तर मात्र 0.987 किग्रा प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है।

कुक्कट विकास के इस क्रिटिकल गैप को देखते हुए प्रदेश में कुक्कुट विकास के उद्देश्य से अन्य प्रदेशों से आयात होने वाले 365 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष के समतुल्य अण्डें प्रदेश में ही उत्पादित करने तथा अन्य प्रदेशों से आयातित 972 लाख ब्रायलर चूजे प्रदेश में ही उत्पादित करने हेतु उद्यमिता विकसित करने के लिए उद्यमियों को सुविधायें उपलब्ध कराने तथा इनवेस्टर फ्रेन्डली वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश में अगले 5 वर्षो में 123 लाख पक्षी क्षमता के कामर्शियल लेयर्स पक्षियों के फार्म की स्थापना तथा प्रदेश को ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 972 लाख ब्रायलर चूजों के उत्पादन हेतु 6.00 लाख पक्षी क्षमता के ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की अवस्थापना हेतु बैंकेबिल योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं, जिनमें कुक्कुट उद्यमियों को वित्तीय संसाधनों में राहत एवं लाभकारी नीतिगत व्यवस्था की गयी है।

2. योजना का नाम–

1. कामर्शियल लेयर्स फार्म की अवस्थापना
2. ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की अवस्थापना

2.1 कामर्शियल लेयर्स फार्म की अवस्थापना

प्रथम चरण में अन्य प्रदेशों से आयात होने वाले लगभग 365 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष के समतुल्य अण्डे प्रदेश में ही उत्पादित करने के लिए 5 वर्षो में 123 लाख कामर्शियल लेयर्स पक्षियों के फार्म की स्थापना की जायेगी।

(2.1.1) एक इकाई में 30 हजार लेयर्स पक्षी रखे जायेंगे। उद्यमी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह एक या एक से अधिक इकाई स्थापित कर सकता है तथा उपरोक्त इकाईयों पर लाभार्थी को बैंक से प्राप्त ऋण पर पॉच वर्ष (60 माह) में 10 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति रू0 40. 00 लाख अधिकतम प्रति इकाई की दर से लाभार्थी को अनुमन्य होगी। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी यदि इकाईयों की लागत से कम ऋण प्राप्त करता है तो प्रति इकाई लिये गये वास्तविक ऋण पर लाभार्थी को प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत ब्याज की वास्तविक ऋण पर गणना करते हुए 05 वर्षो (60 माह) में वास्तविक ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जो रू0 40 लाख से अधिक नहीं होगी।

2.2 **ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की अवस्थापना**

उत्तर प्रदेश में ब्रायलर पालन को लाभकारी एवं सुदृढ़ करते हुए ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आयातित 972 लाख ब्रायलर चूजों के समतुल्य प्रदेश में ही इन्हें उत्पन्न करने के उद्देश्य से रू0 6.00 लाख ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की 5 वर्षो में स्थापना की जायेगी।

(2.2.1) एक इकाई में 10 हजार पैरेन्ट ब्रायलर पक्षी रखे जायेंगे। उद्यमी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह एक या एक से अधिक इकाई स्थापित कर सकता है तथा उपरोक्त इकाईयों पर लाभार्थी बैंक से प्राप्त ऋण पर पॉच वर्ष (60 माह) में 10 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति रू0 45.00 लाख अधिकतम प्रति इकाई की दर से लाभार्थी को अनुमन्य होगी। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी यदि इकाईयों की लागत से कम ऋण प्राप्त करता है तो प्रति इकाई लिये गये वास्तविक ऋण पर लाभार्थी को प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत ब्याज की वास्तविक ऋण पर गणना करते हुए 05 वर्षो (60 माह) में वास्तविक ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जो रू0 45 लाख से अधिक नहीं होगी।

3. **योजना की प्रभावी तिथि–** योजना में अनुमन्य सुविधायें योजना के शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगीं।

4 . **कुक्कुट उद्यमियों को निम्न सुविधायें भी देय होंगी।**

4.1 प्रस्तावित योजनाओं के अन्तर्गत किसी भी श्रोत से भूमि योजना में उल्लिखित सीमा तक के क्रय पर प्रदेश के समस्त जनपदों में स्टैम्प डयूटी पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी जिसके लिए बैंक गारण्टी और जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र अनिवार्य होगा।

4.2 कुक्कट पालन की उपरोक्त इकाईयों को प्रारम्भिक 10 वर्षों तक उपयोग किये गये वास्तविक विद्युत पर विद्युत शुल्क देय नहीं होगा।

4.3 समस्त जनपदों में स्थापित की जाने वाली कुक्कुट इकाईयों, जिनमें स्थायी पूॅजी निवेश रू0 5.00 करोड़ या अधिक हो, को प्रथम बिक्री की तिथि से 10 वर्ष तक उनके द्वारा जमा किये गये वैट व केन्द्रीय बिक्री कर के योग के समतुल्य अथवा

वार्षिक विक्रय धन की 10 प्रतिशत धनराशि, जो कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 07 वर्ष बाद देय होगा।

4.4 खाद्य प्रसंस्करण नीति में दिये गये प्राविधान के अनुसार योजना में आवश्यक प्लाण्ट, मशीनरी व स्पेयर पार्टस के पूंजी निवेश में रू0 5 करोड़ या अधिक हो, उद्यमी द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कच्चे माल के क्रय पर पांच वर्ष के लिए मण्डी शुल्क व विकास सेस से छूट उपलब्ध करायी जायेगी।

5. कुक्कुट विकास नीति का सूचना निदेशक के माध्यम से वृहद प्रचार–प्रसार किया जाना।

5.1 कुक्कुट उद्योग में निवेश के लिए प्रभावी रोड शो आयोजित किया जाना। इस हेतु निम्नलिखित स्थानों का चयन किया गया है:–

(क). हैदराबाद, (ख).चण्डीगढ़ (ग). भोपाल (घ). बेंगलूरू

रोड शो अन्तर्गत स्थल के स्थानीय एवं समीप के कुक्कुट उद्यमियों की बैठक आहूत कर राज्य सरकार की योजना के विषय में बताया जायेगा तथा निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। उद्यमियों द्वारा सुझाये गये उपायों पर भी विचार किया जायेगा।

6. योजना के क्रियान्वयन, सुविधाओं की अनुमन्यता, उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट के परीक्षण एवं संस्तुति, आवेदन प्रपत्र/संस्तुति प्रपत्र एवं अन्य सम्बन्धी प्रपत्र, बैंकों से समन्वय, योजना के अनुश्रवण आदि के संबंध में कार्यकारी आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा अलग से निर्गत किये जायेगें।

7. उक्त योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण उत्तर प्रदेश पोल्ट्री डेवलपमेन्ट बोर्ड के माध्यम से किया जायगा।

****